राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जनपथ, जयपुर

कार्यालय दूरभाष नं0 0141–2744283, फैक्स नं0 0141–2740568, ईमेल आईडी–rsscjaipur@gmail.com

क्रमांक : 2846 दिनांक : 18/8/2025

ई–निविदा संख्या 33 /2025–26 दिनांक 18.8.25

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर द्वारा सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर स्थित **बैडमिंटन अकादमी के 11 बैडमिंटन कोर्ट** को लाईसेन्स फीस के आधार पर संचालन एवं रख–रखाव के लिए 2 वर्ष के अनुबंध हेतु निर्धारित प्रपत्र में द्वि–प्रक्रमी बोली यथा तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड ई–प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया द्वारा ऑनलाईन ई–निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। संबधित पूर्ण विवरण वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in एवं http://sppp.raj.nic.in तथा www.rssc.in पर देखा जा सकता है।

विवरण	:	निर्दिष्ट राशि एवं समय
1. अनुमानित बोली	:	**एक वर्ष हेतु न्यूनतम बोली 60 लाख रूपये होगी**
2. निविदा डाउनलोड प्रारंभ करने की तिथि एवं समय	:	**दिनांक 18.8.25 समय 05:00PM**
3. निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	:	**दि. 1.9.25 दोपहर 1:00 बजे तक**
4. तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय	:	**दि. 3.9.25 को 02:00PM बजे**
5. प्री बिड मीटिंग		**दिनांक 26.8.25 को 1.00 बजे**

क्र. सं.	शुल्क का विवरण	शुल्क	भुगतान का प्रकार	जमा कराने की दिनांक	देय
1	निविदा शुल्क	2000/– रूपये	डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर चैक	दिनांक	सचिव, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर
2	प्रक्रिया शुल्क	1500/– रूपये	डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर चैक	दोपहर 03:00 बजे तक	MD, RISL, Jaipur
2	अमानत राशि	अनु. बोली का 2 प्रतिशत राशि रूपये 1,20,000/–	डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक		सचिव, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर

प्री –बिड मीटिंग हेतु निविदादाता को निविदा शुल्क राशि का डीडी/बैकर्स चेक कार्यालय में जमा कराना होगा जिसको बाद में निविदा शुल्क में समायोजित कर लिया जायेगा।**निविदा शुल्क, प्रक्रिया शुल्क एवं धरोहर राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर कार्यालय में उपलब्ध बॉक्स में दिनांक 1.9.25 अपराह्न 03:00 बजे तक ऑफलाईन जमा कराने होंगे** जिस पर निविदा के कार्य का नाम, ई–निविदादाता का नाम, डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक इत्यादि स्पष्ट अंकित करें। जिन निविदादाताओं के उपरोक्त वांछित राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक निर्दिष्ट समय तक प्राप्त नहीं होंगें, उन ई–निविदादाताओं की टैक्निकल बिड़ नहीं खोली जावेगी। टैक्निकल बिड़ की जांच में सफल घोषित निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड़ खोली जावेगी।

Signature valid

Digitally signed by Rajendra Singh
Designation: Secretary
Date: 2025.08.17 1?:29:33 IST
Reason: Approved

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर द्वारा सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर स्थित बैडमिंटन अकादमी के लाईसेन्स फीस के आधार पर संचालन एवं रख–रखाव हेतु निविदा की शर्तें :–

1. संवेदक का चयन अधिकतम बोली (लाईसेंस फीस) के आधार पर किया जायेगा। न्यूनतम बोली राशि (लाईसेंस फीस) 60 लाख प्रतिवर्ष(समस्त करों सहित) निर्धारित की गई है। संवेदक को न्यूनतम बोली राशि (लाईसेंस फीस) से अधिक ऑफर प्रस्तुत करना होगा। संवेदक को लाईसेंस फीस का 5 प्रतिशत सिक्युरिटी डिपॉजिट की राशि जमा कर 500 रूपये के ई–स्टाम्प पर निविदा की शर्तों के अंतर्गत अनुबंध निष्पादन करना होगा।
2. निविदा में ऐसे इच्छुक संवेदक/फर्म ही भाग ले सकेंगे, जो निविदा शुल्क, अमानत राशि एवं प्रक्रिया शुल्क परिषद कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय पर ऑफलाईन जमा करवाना सुनिश्चित करेंगे।
3. तकनीकी बोली के साथ संवेदक फर्म को निम्न दस्तावेज संलग्न करने अनिवार्य होगे (जिसके आधार पर तकनीकी बिड का मूल्याकंन किया जायेगा) :–
   - संवेदक फर्म को अपने वर्तमान निवास/कार्यालय के पते के प्रमाण हेतु आधार कार्ड के साथ पानी/बिजली/टेलीफोन/मोबाईल के बिल अथवा ड्राईविंग लाईसेन्स में से कोई एक की प्रमाणित छाया प्रतियां।
   - संवेदक/फर्म के पंजीयन की छाया प्रति।
   - संवेदक/फर्म का विगत 3 वित्तीय वर्ष (2021–22 , 2022–23 एवं 2023–24) में औसत वार्षिक टर्नओवर 60 लाख से कम नही होना चाहिये। इस हेतु संवेदक को उक्त वर्षो का सीए से प्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रति मय यूडीआई नम्बर सहित संलग्न करनी होगी।
   - गत 5 वर्षो (2020–21, 2021–22, 2022–23 , 2023–24 ,2024–25) में एक वितीय वर्ष में 50 लाख रूपयें का एक अथवा 40 लाख रूपयें के दो अथवा 30 लाख रूपयें के तीन राजकीय विभागों/ स्वायत्तशासी संस्थाओं /महाविद्यालयों/कॉरपोरेट हाउस/भारतीय खेल प्राधिकरण/बोर्ड /फेड्रेशन/संगठन में राज्य/राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन अकादमी लाईसेन्स फीस के आधार पर संचालन एवं रख–रखाव का अनुभव होना आवश्यक है। इसके प्रमाणीकरण हेतु कार्यादेश एवं कार्य के सन्तोषजनक होने का प्रमाण पत्र आदि आवश्यक दस्तावेज प्रमाण स्वरूप संलग्न करने होगें। संवेदक का पीएफ एवं श्रम विभाग में पंजीकरण होना आवश्यक है।
   - अन्य दस्तावेज चैक लिस्ट अनुसार।
4. बैडमिंटन अकादमी वर्तमान में जिस स्थिति में है उसे निर्धारित मानकों के अनुसार चालू किये जाने सुरक्षा व्यवस्था की समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी। निविदादाताओं को निविदा में भाग लेने से पूर्व बैडमिंटन अकादमी के अवलोकन किये जाने की सलाह दी जाती है।
5. संवेदक द्वारा बैडमिंटन अकादमी में अंतराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षक के तौर पर रखना अनिवार्य होगा । बैडमिंटन अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले खिलाडियों की सुरक्षा के सभी आवश्यक इंतजाम रखेंगे, बैडमिंटन अकादमी में किसी प्रकार की घटना घटित होने पर उसकी संपूर्ण जबाबदारी संवेदक की होगी।

Signature valid

Digitally signed by Rajendra Singh
Designation: Secretary
Date: 2025.08.17 1?:29:33 IST
Reason: Approved

6. संवेदक के समस्त कर्मचारियों को निर्धारित वेशभूषा में एवं फोटो युक्त परिचय पत्र सहित रहना अनिवार्य होगा। बैडमिंटन अकादमी में उपलब्ध उपकरणों के संपूर्ण रख–रखावों एवं सुरक्षा के साथ टूट फूट आदि की मरम्मत कराना एवं स्वस्थ स्थिति में रखने की जबावदारी संवेदक की होगी।
7. अनुबंध प्रारंभ होने के पूर्व समस्त कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन एवं चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. स्वीकृत निविदादाता को अनुबंध राशि (प्रथम वर्ष की लाईसेन्स फीस) का 5 प्रतिशत सिक्योरिटी डिपोजिट अनुबंध अवधि की समाप्ति के तीन माह बाद तक के लिए बैंक गारंटी/एफ.डी आर./डीडी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।
9. परिषद द्वारा संबंधित नियम एवं शर्ते तथा स्वास्थ्य स्वच्छता से संबंधित जानकारियों को होर्डिंग के माध्यम से लगाये जा सकेगे। बैडमिंटन अकादमी में किसी भी तरह का व्यवसायिक विज्ञापन संवेदक के लिए पूर्णताः प्रतिबंधित रहेगा।
10. संवेदक को बैडमिंटन अकादमी जिस स्थिति में है उसी स्थिति में दिया जायेगा। बैडमिंटन अकादमी की मरम्मत/संयंत्रों आदि उपकरणों की मरम्मत का कार्य संवेदक द्वारा किया जायेगा।
11. परिषद् के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा अनुबंध अवधि में समय–समय पर निरीक्षण जांच की जावेगी। निर्धारित दर से अधिक वसूली संवेदक को करते पाये जाने पर अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा एवं जमा अमानत/सिक्योरिटी राशि राजसात कर ली जायेगी।
12. किसी प्रकार की पुलिस रिपोर्ट संवेदक या संवेदक द्वारा नियुक्त कर्मचारी/श्रमिक के विरुद्ध दर्ज की जाती है उसकी संपूर्ण जबावदारी संवेदक की होगी और सत्यता पाये जाने पर अनुबंध निरस्त करते हुए जमा राशि राजसात कर ली जावेगी।
13. प्रति माह विद्युत बिल की राशि संवेदक द्वारा देय होगी। अतिरिक्त लोड बढ़ने/बढ़ाने इत्यादि की स्थिति में संपूर्ण देय राशि के लिए राजस्थान विद्युत मंडल के नियमों अनुसार संपूर्ण राशि संवेदक द्वारा देय होगी। राजस्थान विद्युत मंडल द्वारा यदि बैडमिंटन अकादमी परिसर में कही भी विद्युत चोरी का प्रकरण बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें परिषद् की किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होगी और सत्यता पाये जाने पर अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा।
14. राजस्थान विद्युत मंडल के नियमों के तहत संवेदक द्वारा विद्युत संबंधी समस्त कार्यवाही संवदेक द्वारा की जायेगी। किसी भी प्रकार की विद्युत चोरी, दुर्घटना लापरवाही अपव्यय इत्यादी के लिए संवेदक का उत्तर दायित्व होगा एवं राजस्थान विद्युत मंडल द्वारा जो भी जुर्माना अथवा दंड निर्धारित किया जाता है वह संवेदक द्वारा देय होगा।
15. उपकरण क्षतिग्रस्त होने कि दिशा में उपकरण की पूरी लागत संवेदक से वसूल की जायेगी। साथ ही सुरक्षा उपकरणों एवं आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था रखना अनिवार्य होगा
16. बैडमिंटन अकादमी संचालन के लिए प्रशिक्षित एवं अनुभवी प्रशिक्षक नियुक्त किया जाना अनिवार्य होगा जो विश्व स्तरीय प्रशिक्षक एवं सहायक प्रशिक्षक होना आवश्यक है एवं इस संबध में 100 रू के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा । यदि संवेदक इस संबध में संबधित योग्यता का प्रशिक्षक नियुक्त करने में असमर्थ होता है तो अनुबंध को रदद किया जायेगा।

Signature valid

Digitally signed by Rajendra Singh
Designation : Secretary
Date: 2025.08.17 12:29:33 IST
Reason: Approved

क्र0स0	पद	योग्यता
1	International coach	**Eligibility Criteria:** Diploma or equivalent in Coaching from SAI, NS NIS, or from any other recognised Indian/Foreign University, OR Medal Winner in Olympics/Para Olympics/World Championships/Asian Championship/Commonwealth Championship/Asian Games, (As defined by SAI) or Twice Participation in Olympics/Para Olympics/World Championships/ Asian Championship/Commonwealth Championship/Asian Games, (As defined by SAI) OR Dronacharya Awardee. **Experience:** 8 years of coaching experience in developing Olympics/Para Olympics/World Championships/Asian Championship/ Commonwealth Championship/Asian Games athlete in relevant sports for Diploma Holders or equivalent in Coaching from SAI, NS NIS, or from any other recognised Indian/Foreign University. OR 5 years of coaching experience in relevant sports for Medal Winner in Olympics/Para Olympics/World Championships/Asian Championship/ Commonwealth Championship/Asian Games OR 6 years of coaching experience in relevant sports for Twice Participation in Olympics/Para Olympics/World Championships/Asian Championship/ Commonwealth Championship/Asian Games OR 3 years of coaching experience in relevant sports for Dronacharya Awardee.
2	Assistant coach	**Eligibility Criteria:** Diploma or equivalent in Coaching from SAI, NS NIS, or from any other recognised Indian/Foreign University, OR Medal Winner in Olympics/Para Olympics/World Championships/Asian Championship/Commonwealth Championship/Asian Games, (As defined by SAI) **Experience:** 5 years of coaching experience in developing Olympics/Para Olympics/World Championships/Asian Championship/ Commonwealth Championship/Asian Games athlete in relevant sports for Diploma Holders or equivalent in Coaching from SAI, NS NIS, or from any other recognised Indian/Foreign University. OR 2 years of coaching experience in relevant sports for Medal Winner in Olympics/Para Olympics/World Championships/Asian Championship/ Commonwealth Championship/Asian Games OR 3 years of coaching experience in relevant sports for Twice Participation in Olympics/Para Olympics/World Championships/Asian Championship/ Commonwealth Championship/Asian Games. OR 1 years of coaching experience in relevant sports for Dronacharya Awardee.

17. समय–समय पर परिषद् द्वारा किये जाने वाले आवश्यक संशोधनों का पालन करने के लिएं संवेदक बाध्य होगा।
18. बैडमिंटन अकादमी हेतु आवश्यक सुरक्षा उपकरण एवं समस्त सुरक्षा उपाय स्थापित करने की जवाबदारी संवेदक की होगी। विपरित दशा में अनुबंध निरस्त करते हुए जमा अमानत राशि/सिक्योरिटी डिपॉजिट जप्त कर ली जावेगी।
19. बैडमिंटन अकादमी में स्थापित संयंत्रों की जबाबदारी संवेदक की होगी। अनुबंधक की समयावधि समाप्त होने के पश्चात स्थापित संयंत्रों एवं अन्य उपकरण यदि खराबी आती है तो उसकी गणना उपरांत जमा अमानत राशि में से कटौती की जायेगी।

Signature valid

Digitally signed by Rajendra Singh
Designation: Secretary
Date: 2025.08.17 12:29:33 IST
Reason: Approved

20. स्थापित संयंत्र उपकरण एवं अन्य सामग्री को चालू एवं अच्छी स्थिति में विभाग को वापस देना होगा।
21. बैडमिंटन अकादमी में नियुक्त किये गये कर्मचारियों/श्रमिकों की सूची संवेदक द्वारा कार्यालय में देना अनिवार्य होगी जिसमें कर्मचारियों/श्रमिकों के नाम वल्दियत एवं पूर्ण पते का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही उन कर्मचारियों को परिचय पत्र भी देना अनिवार्य होगा जो कर्मचारी अपने पास अनिवार्य रूप से रखेगा तथा परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों के निरीक्षण के समय मांगे जाने पर उसे दिखाना अनिवार्य होगा।
22. सेवदक द्वार महिला एवं पुरूषों हेतु पृथक से प्रशिक्षक एवं ट्रेनर की व्यवस्था करनी होगी साथ ही महिला सुरक्षा कर्मी भी रखना होगा।
23. बैडमिंटन अकादमी हेतु संवेदक को निम्नानुसार न्यूनतम कर्मचारी लगाया जाना अनिवार्य होगा :–

i. बैडमिंटन अकादमी –

Type of Manpower	During Academy Running	
	Male	Female
international level Badminton Coach	1	1
Assistant coach	2	1
Trainer	3	2
Physio	1	1
Housekeeping Staff	1	1
Security Guard	3	1
Total	**11**	**7**

नोटः– संवेदक द्वारा उक्त अंकित संख्या से कम कार्मिक नहीं लगाये जायेंगे। निर्धारित संख्या से कम संख्या में कार्मिक लगाये जाने पर नियमानुसार कार्यवही की जावेगी।

24. बैडमिंटन अकादमी में आने वाले सभी व्यक्तियों की सुरक्षा की जवाबदारी संवेदक की होगी।
25. बैडमिंटन अकादमी परिसर की साफ–सफाई की समस्त जबावदारी संवेदक की होगी।
26. संवेदक द्वारा उपरोक्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
27. तकनीकी प्रस्तावों में सफल संवेदकों के ही वित्तीय प्रस्ताव खोले जावेगें जो संवेदक तकनीकी बिड में सफल नहीं पाये गये उनकी वित्तीय बोली नहीं खोली जायेगी। सर्वाधिक राशि की बोली के आधार पर H-1 निविदादाता का चयन किया जायेगा।
28. राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कर नियमानुसार संबंधित विभाग में संवेदक द्वारा जमा कराने होगें। संबंधित विभाग में जमा कराने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
29. उच्चतम संवेदक की अमानत राशि अनुबंध अवधि तक राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में अमानत राशि के रूप में जमा रहेगी। शेष संवेदकों की अमानत राशि निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अर्थात् संबंधित संवेदक को कार्य आदेश जारी होने के उपरान्त लौटा दी जावेगी।

Signature valid

Digitally signed by Rajendra Singh
Designation: Secretary
Date: 2025.08.17 1[illegible]:29:33 IST
Reason: Approved

30. निविदा में सफल संवेदक/फर्म को बोली राशि निम्नानुसार जमा करानी होगी :–

- बैडमिंटन अकादमी संचालन एवं रख–रखाव का अनुबंध 2 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा। निविदा में प्रथम वर्ष की बोली राशि अंकित करनी होगी।
- उच्चतम बोलीदाता संवेदक को प्रथम वर्ष हेतु बोली की सम्पूर्ण राशि LOA (Letter of Award) जारी होने के 7 दिवस में डीडी/बैंकर्स चैक द्वारा कार्यालय में जमा करानी होगी। इसके बाद शेष बोली राशि वर्ष की समाप्ति पर वर्षवार एक मुश्त जमा करवानी होगी।
- प्रथम वर्ष के पश्चात् उत्तरोत्तर वर्षों में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर लाईसेंस फीस निर्धारित की जावेगी।
- निर्धारित समय पर नियमानुसार अनुबंध राशि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद कोष में जमा नहीं कराने पर अनुबंध स्वतः निरस्त माना जावेगा तथा संवेदक/फर्म की जमा समस्त राशियां जब्त कर ली जावेंगी। साथ ही संवेदक/फर्म के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

31. उच्चतम संवेदक द्वारा प्रथम किश्त की राशि निर्धारित अवधि में जमा कराने में असफल रहने पर उसकी जमा अमानत राशि जप्त कर ली जावेगी एवं इसके पश्चात् उच्चतम संवेदक के द्वारा दी गई बोली/नीलामी राशि पर कार्य सम्पादन हेतु द्वितीय उच्चतम संवेदक को पत्र लिखा जावेगा। द्वितीय संवेदक द्वारा स्वीकार करने की स्थिति में राशि LOA (Letter of Award) जारी होने के 7 दिवस में नियमानुसार कार्यालय में जमा करानी होगी। यदि द्वितीय संवेदक द्वारा उच्चतम संवेदक की दरों पर कार्य करने की असहमति दी जाती है, तो पुनः निविदा जारी की जावेगी।

32. निर्धारित समय पर अनुबंध राशि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् कोष में जमा नहीं कराने पर अनुबंध स्वतः निरस्त माना जावेगा तथा संवेदक/फर्म की जमा समस्त राशियां जप्त समझी जावेंगी। साथ ही, संवेदक/फर्म के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

33. बैडमिंटन अकादमी में प्रशिक्षण हेतु आने वाले व्यक्तियों से संवेदक द्वारा निम्नानुसार शुल्क वसूल किया जा सकेगा :–

i. **बैडमिंटन अकादमी –**

निर्धारित समय	**निर्धारित राशि (per hour)**
1 माह प्रति खिलाडी	**मासिक शुल्क** **1500/– समस्त करों एवं कोचिंग फीस रहित** **3500/–समस्त करों एवं कोचिंग फीस सहित**
निःशुल्क (1 Hour)	**अंतराष्ट्रीय स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाडी**

नोटः– शुल्क से संबंधित संपूर्ण गाइडलाइन्स का उल्लेख सार्वजनिक स्थान पर बोर्ड लगाकर स्वयं के संसाधनों से करना होगा। उक्त दरों में परिर्वतन परिषद की अनुमती बिना नहीं किया जा सकेगा।

Signature valid

Digitally signed by Rajendra Singh
Designation: Secretary
Date: 2025.08.17 1?:29:33 IST
Reason: Approved

34. संवेदक/फर्म या उसके प्रतिनिधि निर्धारित दरों के अतिरिक्त कोई राशि वसूली नहीं कर सकेगा। उक्त अवैध वसूली की सत्य/प्रमाणित शिकायत पर निम्नानुसार अर्थदण्ड लगाया जावेगा :–

प्रथम शिकायत पर रू. 10,000/– द्वितीय शिकायत पर रू. 30,000/– तृतीय शिकायत पर रू. 50,000/–
नोटः– उपरोक्त स्थिति में तीसरी सत्य/प्रमाणित शिकायत पर संवेदक की संपूर्ण जमा राशियां जप्त करते हुए अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा।

35. संवेदक/फर्म के अधिकृत व्यक्ति/प्रतिनिधि ही बैडमिंटन अकादमी पर उपस्थित रह सकेंगे एवं संवेदक/फर्म द्वारा अधिकृत व्यक्तियों/प्रतिनिधियों की सूचना अनुबंध स्वीकृति के 7 दिवस के भीतर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्/जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर को उपलब्ध करवाई जावेगी। संवेदक/फर्म या उनके प्रतिनिधियों को बैडमिंटन अकादमी पर अपने नाम का कार्ड लगाना होगा एवं ऐसा नहीं करने पर अनुबंध शर्तों का उल्लंघन माना जावेगा। कार्ड आदि का व्यय संवेदक/फर्म को स्वयं वहन करना होगा।
36. संवेदक/फर्म अनुबंध को अन्य किसी को सबलेट नहीं करा सकेगा एवं सबलेट करने पर अनुबंध निरस्त माना जावेगा।
37. <u>परिसम्पति नुकसानी</u> :–
    - परिसमापित नुकसानी के साथ कार्य अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधान अनुसार होगी।
38. संवेदक/फर्म बैडमिंटन अकादमी पर किसी भी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण नहीं करवा सकेगा। यदि इस प्रकार की कोई कार्यवाही की जाती है तो उसे संवेदक/फर्म के व्यय से काटा जावेगा एवं संवेदक/फर्म के विरूद्ध कार्य वाही की जावेगी।
39. अनुबंध अवधि में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्/जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर द्वारा कभी भी राज्यादेश या जनहित में बैडमिंटन अकादमी खाली करवाया जा सकेगा एवं इसमें संवेदक/फर्म का किसी भी प्रकार का ऐतराज मान्य नहीं होगा।
40. अनुबंध अवधि की समाप्ति तिथि की अर्द्धरात्रि को यह बैडमिंटन अकादमी स्वतः ही राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद में निहित हो जावेगी।
41. यदि संवेदक की गलती के कारण राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद/ जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर को बैडमिंटन अकादमी अनुबंध चलाना पडा तो वैकल्पिक व्यवस्था का खर्चा संवेदक की रिस्क एवं लागत पर होगा तथा उससे वसूल किया जावेगा।
42. अनुबंध स्वीकृति के बाद 7 दिवस में नियमानुसार निर्धारित राशि के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प (संवेदक/फर्म के व्यय पर) पेपर पर अनुबंध की शर्तों अनुसार नियमानुसार सचिव, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् को अनुबंध पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिस पर 2 जमानती के हस्ताक्षर करवाने होंगे।
43. संवेदक/फर्म को बैडमिंटन अकादमी शुल्क की दरें पठनीय रूप से लिखकर सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करनी होगी। ऐसी नहीं करने पर इसे अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन माना जावेगा।
44. यदि परिषद को संवेदक/फर्म के किसी कृत्य से किसी भी प्रकार की कोई हानि होती है या दायित्व उत्पन्न होता है तो संवेदक/फर्म इसके लिये पूर्णतया उत्तरदायी होगा।

Signature valid

Digitally signed by Rajendra Singh
Designation: Secretary
Date: 2025.08.17 1?:29:33 IST
Reason: Approved

45. किसी भी शर्त का उल्लघंन करने पर अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में संवेदक/फर्म की समस्त जमा राशियां जप्त की जावेगी।
46. अनुबंध शर्तों का किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर को होगा।
47. किसी भी विवाद की स्थिति में राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।
48. न्यायिक विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।
49. राजकीय/केन्द्र सरकार द्वारा लागू समस्त कर संवेदक द्वारा वहन किये जायेगें तथा इस संबंध में संवेदक किसी भी प्रकार से पुर्नभरण राशि की मांग राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद से नहीं करेगा ओर न ही राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद द्वारा देय होगा। राजकीय/केन्द्र सरकार द्वारा लागू समस्त कर संवेदक द्वारा जमा नहीं करवाये जाने की स्थिति में राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद द्वारा निविदा को निरस्त कर दिया जावेगा और संवेदक की जमा राशि जप्त कर ली जावेगी।
50. किसी भी बोली को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद कार्यालय, जयपुर को होगा।
51. अनुबंध अवधि के दौरान पानी, बिजली मरम्मत कार्य संवेदक/फर्म द्वारा स्वयं के खर्च में से वहन किया जावेगा।
52. निर्मित बैडमिंटन अकादमी में किसी प्रकार की क्षति होती है तो संवेदक/फर्म उसे सही करवायेगा यदि परिषद कार्यालय द्वारा क्षति हुई बिल्डिंग को सही करवाया जाता है तो न्यूनतम राशि 10,000/—रूपये व अधिकतम वैल्यूवेशन के आधार पर नियमानुसार संवेदक/फर्म से वसूल की जावेगी।
53. संवेदक द्वारा बैडमिंटन अकादमी पर रोजाना साफ—सफाई का कार्य करवाया जाना भी सुनिश्चित करेगा।
54. यह कि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा।
55. जी.एफ. एण्ड ए.आर.,राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के समस्त प्रावधान लागू होगें।
56. बैडमिंटन अकादमी में अध्यक्ष/सचिव राज0 राज्य क्रीडा परिषद द्वारा नामित 30 खिलाडियों को निःशुल्क प्रशिक्षण (सुबह 6 बजे से 9 बजे एवं शांय 4 बजे 7 बजे तक)प्रदान कराना होगा। राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के बैडमिंटन प्रशिक्षक द्वारा भी इन खिलाडियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकेगा इस संबध में सवेदक द्वारा कोई आपत्ती नहीं की जा सकेगी। राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के बैडमिंटन प्रशिक्षक परिषद के प्रतिनिधी के रूप मे कार्य करेंगे।
57. बैडमिंटन अकादमी को राज्य सरकार/क्रीडा परिषद कार्यक्रम/राजकीय प्रतियोगिताओं हेतु निःशुल्क उपलब्ध करवाना होगा। जिसके संबध में संवेदक द्वारा किसी भी प्रकार की आरक्षित शुल्क की मांग नहीं की जायेगी। इसके अतिरिक्त निजी प्रतियोगिताओं हेतु राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद की अनुमति उपरात ही बैडमिंटन अकादमी आरक्षित की जा सकेगी । संवेदक/फर्म अकादमी परिसर में राज0 राज्य क्रीडा परिषद सें अनुमति उपरात बैडमिंटन हेतु आवश्यक इन्फ्रास्टक्चर /सुविधाओं का निर्माण कर सकेगा परन्तु अनुबंध समाप्ती पर उक्त सम्पती परिषद की होगी। जिस हेतु संवेदक को किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।

Signature valid

Digitally signed by Rajendra Singh
Designation: Secretary
Date: 2025.08.17 12:29:33 IST
Reason: Approved

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anticompetitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) Disclose conflict of interest, if any; and

(h) Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest.-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in the bidding process if, including but not limited to:

(a) Have controlling partners/shareholders in common; or

(b) Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

(c) Have the same legal representative for purposes of the bid; or

(d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or

(e) The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid will result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or

(f) the bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, Works or services that are the subject of the Bid; or

(g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or proposed to be hired) by the procuring entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Signature valid

Digitally signed by Rajendra Singh
Designation: Secretary
Date: 2025.08.17 1?:29:33 IST
Reason: Approved

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ....for procurement of ....in response to their Notice inviting Bids No...............Dated................I/we ....hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entry;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payble to the union and the state government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :
Place :

Signature of bidder
Name :
Designation :
Address :

Signature valid
Digitally signed by Rajendra Singh
Designation: Secretary
Date: 2025.08.17 1?:29:33 IST
Reason: Approved

Annexure C : Grievance Redressed during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Dy. Secretary Youth Affairs & Sports Department Govt. of Rajasthan. The designation and address of the Second Appellate Authority is **Principal Secretary** Youth Affairs & Sports Department Govt. of Rajasthan, Jaipur.

(1) Filing an appeal:-

if any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the Act or the rules or the guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate authority, as specified in the Bidding document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids, an appeal related to the matter of financial bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the first appellate authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to second appellate authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority, as the case may be.

(4) Appeals not to lie in certain cases:-

No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely:-

(a) Determination of need of procurement
(b) Provisions limiting participation of bidders in the bid process
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations
(d) Cancellation of a procurement process
(e) Applicability of the provisions of confidentiality

Signature valid

Digitally signed by Rajendra Singh
Designation: Secretary
Date: 2025.08.17 1?:29:33 IST
Reason: Approved

(5) Form of Appeals:-

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee,

(c) Every appeal may be presented to first appellate authority or second appellate authority, as the case may be, in person or though registered post or authorized representative.

(6) Fee for filing Appeal:-

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a scheduled bank in India payable in the name of appellate authority concerned.

(7) Procedure for disposal of Appeal:-

(a) The first appellate authority or second appellate authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing

(b) On the date fixed for hearing, the first appellate authority of second appellate authority, as the case may be shall-

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the state public procurement portal.

Signature valid

Digitally signed by Rajendra Singh
Designation: Secretary
Date: 2025.08.17 1?:29:33 IST
Reason: Approved

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. It there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected ; and

iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, Works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(i) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature valid

Digitally signed by Rajendra Singh
Designation: Secretary
Date: 2025.08.17 1?:29:33 IST
Reason: Approved

<u>घोषणा</u>

मैने/हमने **सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में स्थित** बैडमिंटन अकादमी **के लाईसेन्स फीस के आधार पर संचालन एवं रख–रखाव हेतु** बोली के नियम एवं शर्तो को भली–भॉति पढ व समझ लिया है। मुझे/हमारी फर्म को किसी भी विभाग द्वारा ब्लेक–लिस्ट एवं किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है। इन शर्तो एवं नियमों के अधीन मैं/हम **सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में स्थित** बैडमिंटन अकादमी **के लाईसेन्स फीस के आधार पर संचालन एवं रख–रखाव हेतु** सहमत एवं वचनबद्व हूँ/है। यदि मेरे/हमारे द्वारा किसी बोली की शर्तों, नियमों अथवा आदेशों का उल्लंघन किया जावेगा तो सक्षम अधिकारी द्वारा मेरे/हमारे विरूद्व बोली के नियम/शर्तों के उल्लंधन की कार्यवाही करने के लिए अधिकृत होगा। इस सम्बन्ध में मुझे/हमें सक्षम/अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा तथा इसमें मुझे/हमको कोई आपत्ति/हस्तक्षेप नहीं है।

हस्ताक्षर संवेदक...
नाम/पता ....
....
टेलीफोन नं. ....
दिनांक ....

Signature valid
Digitally signed by Rajendra Singh
Designation: Secretary
Date: 2025.08.17 12:29:33 IST
Reason: Approved

UNDERTAKING BY THE BIDDER

This is to certify that I/we before signing this tender have read and fully understood all the terms and conditions contained herein and undertake myself/ourselves to abide by them. I/We have signed all the pages in acceptance of the terms and conditions.

I/We also undertake that I/We will not adopt any malpractices at any stage of bidding/execution.

Signature of the Bidder with Seal
Name:
Designation:
Address:

Signature valid
Digitally signed by Rajendra Singh
Designation: Secretary
Date: 2025.08.17 1?:29:33 IST
Reason: Approved

BIDDER'S AUTHORIZATION CERTIFICATE {to be filled by the bidder}

To,

{Tendering Authority},

______________________________,

______________________________,

I/ We...{Name/Designation} hereby declare/ certify that ....

.... {Name/ Designation} is hereby authorized to sign relevant documents on behalf of the company/ firm in dealing with Tender with RAJASTHAN STATE SPORTS COUNCIL, JAIPUR.

He/ She is also authorized to attend meetings & submit technical & commercial information/ clarifications as may be required by you in the course of processing the Bid. For the purpose of validation, his/ her verified signatures are as under.

Thanking you,

Name of the Bidder: -
Authorized Signatory: -
Seal of the Organization: -
Date:
Place:

Verified Signature:

Signature valid
Digitally signed by Rajendra Singh
Designation: Secretary
Date: 2025.08.17 12:29:33 IST
Reason: Approved

Annexure - E

संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की चैक लिस्ट

कार्य का नामः– सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में स्थित बैडमिंटन अकादमी के लाईसेन्स फीस के आधार पर संचालन एवं रख–रखाव हेतु।

संवेदक का नाम व पता ....

....

मोबाईल नं. .... **ई–मेल** ....

क्र0 सं0	विवरण (निम्न दस्तोवज आवश्यक रूप से तकनीकी निविदा के साथ अपलोड किये जाने है)	संलग्न किये गये (हाँ / नहीं)	पृष्ठ संख्या जिस पर संलग्न है
1.	निविदा प्रपत्र मय शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर संलग्न किया।		
2.	तकनीकी बिड़ के साथ प्रक्रिया शुल्क, निविदा शुल्क एवं अमानत राशि का बैंकर्स चैक / डी.डी. की छायाप्रति		
3.	संवेदक / फर्म के पंजीयन की छाया प्रति		
4.	जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति।		
5.	जी.एस.टी. देयता (PAID) प्रमाण–पत्र की छाया प्रति (जून 2025 की) GSTR-3B PERFORMA में		
6.	पीएफ एवं श्रम विभाग का पंजीकरण प्रमाण पत्र		
7.	संवेदक / फर्म का विगत 3 वित्तीय वर्ष (2021–22, 2022–23 एवं 2023–24) में औसत वार्षिक टर्नओवर 60.00 लाख से कम नही होना चाहिये। इस हेतु संवेदक को उक्त वर्षो का सीए से प्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रति मय यूडीआई नम्बर सहित		
8.	गत 5 वर्षो (2020–21, 2021–22, 2022–23 , 2023–24 ,2024–25) में एक वितीय वर्ष में 50 लाख रूपयें का एक अथवा 40 लाख रूपयें के दो अथवा 30 लाख रूपयें के तीन राजकीय विभागों / स्वायत्तशासी संस्थाओं / महाविद्यालयों / कॉरपोरेट हाउस / भारतीय खेल प्राधिकरण / बोर्ड / फेडरेशन / संगठन मे राज्य / राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन अकादमी लाईसेन्स फीस के आधार पर संचालन एवं रख–रखाव का अनुभव होना आवश्यक है। इसके प्रमाणीकरण हेतु कार्यादेश एवं कार्य के सन्तोषजनक होने का प्रमाण पत्र आदि आवश्यक दस्तावेज प्रमाण स्वरूप संलग्न करने होगें।		
9.	PAN No. की छाया प्रति संलग्न है।		
10.	अन्य कोई दस्तावेज जो संवेदक संलग्न करना चाहता है।		

संवेदक के हस्ताक्षर

मय सील

Signature valid

Digitally signed by Rajendra Singh
Designation: Secretary
Date: 2025.08.17 1?:29:33 IST
Reason: Approved

वित्तीय बिड

कार्य का नाम :— सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में स्थित बैडमिंटन अकादमी के लाईसेन्स फीस के आधार पर संचालन एवं रख—रखाव हेतु।

1. बोलीदाता का नाम..
2. डाक का पता ....

....

....

3. टेलीफोन नं. (कार्यालय)......................................

   (निवास) ....

   (पैन नं0) ....

4. ईमेल ....

FORMAT FOR OFFERED LICENCE FEES

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में स्थित बैडमिंटन अकादमी के लाईसेन्स फीस के आधार पर संचालन एवं रख—रखाव हेतु प्रथम वर्ष हेतु न्यूनतम लाईसेन्स राशि (बोली राशि)	संवेदक द्वारा प्रथम वर्ष की बोली राशि (समस्त करों सहित)	
	अंकों में	शब्दों में
60.00 लाख रू.(समस्त करो सहित)		

बोलीदाता/अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर मय मोहर

Signature valid

Digitally signed by Rajendra Singh
Designation : Secretary
Date: 2025.08.17 12:29:33 IST
Reason: Approved